छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

युगलपीठ

न्यायपीठ : माननीय श्री टी.पी. शर्मा तथा

माननीय श्री आर.एल. झंवर, न्यायाधीश

दाण्डिक अपील क्रमांक 741 / 2005

सियाराम

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय हेतु विचारार्थ

हस्ताक्षर /-

टी.पी.शर्मा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायाधीश श्री आर.एल. झंवर,

हस्ताक्षर /-

आर.एल. झंवर

न्यायाधीश

निर्णय की घोषणा हेतु दिनांक 28 जनवरी 2010 को सूचीबद्ध करें ।

हस्ताक्षर /-

28.10.2010

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ

न्यायपीठ : माननीय श्री टी.पी. शर्मा तथा

माननीय श्री आर.एल. झंवर, न्यायाधीश

दाण्डिक अपील क्रमांक 741 / 2005

अपीलकर्ता : सियाराम, आयु लगभग 30 वर्ष,पिता श्री घनश्याम साहू, श्रमिक,

(अभियुक्त) निवासी ग्राम गतौरी, पुलिस थाना कोनी, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़
(जेल में)

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना कोनी, जिला बिलासपुर (छ.ग) (शिकायतकर्ता)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अंतर्गत दायर दाण्डिक अपील)

उपस्थित :

श्री अशोक वर्मा सहित श्री गजेंद्र साहू ,अधिवक्तागण, अपीलकर्ता के लिए।
श्री राकेश झा, उप शासकीय अधिवक्ता, राज्य/प्रत्यर्थी के लिए।

निर्णय

(दिनांक 28 जनवरी 2010 को उद्घोषित किया गया)

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश, टी.पी. शर्मा द्वारा प्रदत्त:-

1. इस अपील में चुनौती दिनांक 6-4-2005 को तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सत्र परीक्षण क्रमांक 230/2004 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश को दी गई है, जिसके द्वारा एवं जिसके अंतर्गत माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को उसकी पत्नी श्रीमती दीनू की हत्या के समतुल्य मानव वध कारित करने का दोषी ठहराते हुए, अपीलकर्ता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास से दण्डित किया तथा रु. 500/- (रुपये पाँच सौ मात्र) के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया।

अर्थदंड का भुगतान न करने की स्थिति में, अपीलकर्ता को अतिरिक्त तीन माह के कठोर कारावास का दंड भुगतने का निर्देश दिया गया।

2. निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि बिना किसी प्रकार के साक्ष्य के तथा इस तथ्य पर विचार किए बिना कि अपराध के घटित होने के समय अपीलकर्ता मानसिक रूप से अस्वस्थ था और अच्छा-बुरा, सही-गलत समझने की स्थिति में नहीं था, अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषसिद्ध कर दंडित किया है और इस तरह अवैधता कारित किया ।

3. अभियोजन का संक्षिप्त कथन इस प्रकार है कि मृतका श्रीमती दीनू, जो अपीलार्थी की पत्नी थी, अपीलार्थी के साथ ग्राम गतौरी, जिला बिलासपुर में निवास कर रही थी। दिनांक 07-03-2004 (होली पर्व) के दुर्भाग्यशाली दिन को लगभग रात 2.30 बजे, अपीलार्थी के भाई जैजयराम साहू (अ.सा -6)होली मनाकर (होली दहन के पश्चात) छोटेलाल यादव के साथ वापस आ रहे थे। जब वे अपीलार्थी के मकान के सामने पहुँचे, तब अपीलार्थी अपने आँगन से बाहर आता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में कुदारी (कृषि हथियार**)** थी। उसने कुदारी को दरवाज़े के पास रख दिया और वहाँ से भाग गया।जैजयराम साहू (अ.सा-6) और छोटेलाल यादव तत्काल अपीलार्थी के घर के भीतर गए। अपीलार्थी की पत्नी श्रीमती दीनू बाई घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। जैजयराम साहू ने तुरंत यह घटना अपने पिता को बताई, जो उसी घर में निवासरत थे। अपीलार्थी के पिता घनश्याम प्रसाद साहू (अ.सा-7) भी अपीलार्थी के कमरे में गए। अपीलार्थी की पत्नी खाट पर बुरी तरह घायल अवस्था में पड़ी हुई थी, उसके शरीर से रक्त बह रहा था और कुछ ही मिनटों में उसकी मृत्यु हो गई। अपीलार्थी प्रायः मृतका के साथ झगड़ा करता था। अपीलार्थी के पिता ने उसी दिन 1 घंटे 15 मिनट के भीतर प्रदर्श पी-5 के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। अन्वेषण अधिकारी ने प्रदर्श पी-13 के अनुसार मर्ग दर्ज किया, घटना-स्थल के लिए रवाना हुआ तथा प्रदर्श पी-8 के द्वारा गवाहों को बुलाकर मृतका के शव का पंचनामा प्रदर्श पी-1 के तहत तैयार किया। शव को परीक्षण हेतु सहायक शल्य चिकित्सक, शासकीय अस्पताल, बिलासपुर के पास प्रदर्श पी-15 के द्वारा भेजा गया। डॉ. ए. पी. राय (अ.सा-4) तथा डॉ. श्रीमती ए. चेपड़े ने प्रदर्श पी-3 के अनुसार शव परीक्षण किया, जिसमें निम्नलिखित चोटें पाई गईं—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1) नाक के ऊपर, सिर के अग्र भाग में 3 से.मी. × 2 से.मी. × अस्थि तक गहरी क्षत-विक्षत (लैसरटेड) घाव।

(2) प्रथम घाव के समीप 3 से.मी. × 2 से.मी. का अस्थि तक गहरी क्षत-विक्षत घाव, जो मस्तिष्क गुहा तक भेदा हुआ था।

(3) दाहिनी गाल पर क्षत-विक्षत घाव, आकार 3 से.मी. × 2 से.मी., अस्थि तक गहरी, मुख तक प्रवेश करता हुआ;

(4) नाक के बाएँ भाग पर क्षत-विक्षत घाव, मुख तक प्रवेश करता हुआ;

(5) बाएँ जबड़े पर क्षत-विक्षत घाव, आकार 4 से.मी. × 2 से.मी., मुख तक प्रवेश करता हुआ; जबड़े में फ्रैक्चर पाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) दाहिने हाथ के अँगूठे एवं उँगलियों पर क्षत-विक्षत घाव, आकार 3 से.मी. × 2 से.मी. × 1 से.मी.;

(7) बाएँ हाथ पर क्षत-विक्षत घाव, आकार 6 से.मी. × 2 से.मी. × 1 से.मी.;

(8) दाहिनी कोहनी पर क्षत-विक्षत घाव, आकार 2 से.मी. × 1 से.मी. × 1 से.मी.;

(9) मैक्सिला नासिका अस्थि तथा जबड़े में फ्रैक्चर पाया गया;

(10) मस्तिष्क ऊतक फटा हुआ एवं मस्तिष्क के भीतर रक्तस्राव पाया गया।

मृतका की मृत्यु, सिर पर लगी गंभीर चोटों से उत्पन्न सदमे के परिणामस्वरूप हुई। अभियुक्त के आँगन के सामने से रक्तरंजित कुदाल को जप्त किया गया, जिसका जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-6 है। घटना-स्थल से सादी मिट्टी एवं रक्तरंजित मिट्टी को प्रदर्श पी-7 के तहत जप्त किया गया। अभियुक्त से एक रक्तरंजित आधी बाँह की शर्ट को प्रदर्श पी-9 के तहत जप्त किया गया। मृतका के शव परीक्षण के पश्चात सीलबंद कपड़ों को प्रदर्श पी-11 के माध्यम से जप्त किया गया। पटवारी द्वारा घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी-4 के अनुसार तैयार किया गया।जप्त की गई कुदाल को परीक्षण हेतु चिकित्सक के पास भेजा गया तथा चिकित्सक ने यह राय दी कि मृत शरीर पर पाई गई

चोटें कुदाल से लग सकती हैं तथा कुदाल पर पाए गए दाग रक्त के हो सकते हैं। जप्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु प्रदर्श पी-20 के तहत भेजा गया और रासायनिक विश्लेषक द्वारा प्रदर्श पी-23 के तहत कुदाल पर रक्त की उपस्थिति की पुष्टि की गई।

4. गवाहों के कथनों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत लिपिबद्ध किया गया तथा जाँच पूर्ण होने पर अभियोग पत्र अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय, बिलासपुर को उपार्पित किया, जहाँ से यह प्रकरण विचारण हेतु स्थानांतरित होकर विद्वान् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को प्राप्त हुआ।

5. अपीलकर्ता का अपराध सिद्ध करने हेतु अभियोजन ने कुल ग्यारह (11) गवाहों का परीक्षण कराया। अभियुक्त का परीक्षण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत किया गया, जहाँ उसने अपने विरुद्ध प्रकट हुई परिस्थितियों का खंडन करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया तथा झूठा फँसाए जाने का अभिवाक लिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उपर्युक्तानुसार अपीलकर्ता को दोषी ठहराया एवं दण्डित किया।

7.हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने एवं विचारण न्यायालय के निर्णय तथा अभिलेख का परीक्षण किया।

8.अपीलकर्ता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 391 के अंतर्गत अतिरिक्त साक्ष्य ग्रहण करने हेतु आवेदन (आई.ए. क्र. 2/2009) भी प्रस्तुत किया है, जो विशेषरूप से अपीलकर्ता की पूर्वप्रचलित उन्माद (मानसिक अस्वस्थता) एवं उपचार से संबंधित है। आई.ए. क्र. 2/2009 पर भी हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं के तर्क को सुन लिया है।

9.श्री अशोक वर्मा, अपीलकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता ने जोरदार रूप से तर्क किया कि वर्तमान प्रकरण में प्रारम्भ से ही अपीलकर्ता ने यह प्रतिरक्षा ली है कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं उन्मत्त था तथा सही-गलत एवं शुभ-

अशुभ का भेद करने की स्थिति में नहीं था; अतः विचारण न्यायालय पर यह दायित्व था कि विचारण आरंभ करने से पूर्व अपीलकर्ता की उन्माद-स्थिति के प्रश्न का निर्णय करता। अपीलकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क किया कि अभियोजन साक्षी जयजयराम साहू (अ.सा-6), जो अपीलकर्ता का भाई है, तथा घनश्याम प्रसाद साहू (अ.सा-7), जो अपीलकर्ता के पिता हैं, के बयान स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि कथित घटना से पूर्व अपीलकर्ता मानसिक रूप से सामान्य नहीं था, वह अच्छा -बुरा तथा सही-गलत का विवेक करने की स्थिति में नहीं था। वह महासमुंद में चालक के रूप में कार्यरत था, वहाँ से बिलासपुर हेतु रवाना हुआ, किन्तु लगभग एक माह के उपरांत बिलासपुर पहुँचा तथा महासमुंद से बिलासपुर तक की यात्रा में हुए ऐसे विलंब का कारण भी वह बताने की स्थिति में नहीं था। उसकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं थी। अभियुक्त की मानसिक अस्वस्थता की स्थिति में, विचारण की प्रक्रिया के दौरान न्यायालय पर यह दायित्व था कि वह विचारण प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी मन्दबुद्धि/अस्वस्थ मति के प्रश्न का निर्णय करता। न्यायालय पर यह दायित्व भी था कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता, के अध्याय **xxv** के प्रावधानों के अनुसार मानसिक अस्वस्थता के प्रश्न का परीक्षण करता, परन्तु अध्याय **xxv** के अंतर्गत कार्यवाही करने के स्थान पर न्यायालय ने अवैध रूप से अपीलकर्ता का विचारण एवं उपर्युक्तानुसार दोषसिद्धि कर दी। विद्वान् अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि अपीलकर्ता ने कोई अपराध नहीं किया है और अधिनस्थ अदालत ने अपीलकर्ता को उसकी दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त साक्ष्य के बिना ही दोषी ठहराया। विद्वान् अधिवक्ता ने **पूजप्पा बनाम राज्य** [1]तथा **कर्नाटक राज्य (कनकगिरी थाना) बनाम डोरगल कनकप्पा**[2] के प्रकरणों का अवलंब लिया, जिनमें कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि अभियुक्त मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, तो उसकी मानसिक स्थिति के संबंध में जांच न करना और निष्कर्ष न दर्ज करना, विचारण प्रक्रिया को अशुद्ध कर देता है। विद्वान् अधिवक्ता ने आगे **अब्दुल्ला झाट तथा अन्य बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य**[3] प्रकरण का अवलंब लिया, जिसमें जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मानसिक अस्वस्थता की प्रतिरक्षा को बिना किसी मेडिकल अधिकारी से उसके प्रमाणित विवरणों की परीक्षा किए खारिज करना अभियुक्त के प्रति गंभीर अन्याय उत्पन्न करता है और ऐसे विचारण को अशुद्ध माना जाना चाहिए। विद्वान् अधिवक्ता ने इसके अतिरिक्त **हुसैन बनाम केरल राज्य** [4] प्रकरण का अवलंब लिया, जिसमें केरल उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अभियुक्त के पैरानॉयड सिज़ोफ्रेनिया (भ्रमात्मक/संदेहात्मक प्रकार का मानसिक विकार) की पृष्ठभूमि से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

1 **(**1991 Cri.L.J. 1189)

2 **(** 1996 Cri. L.J. 599)

3 **(**1999 Cri. L.J. 3034)

4 (2005Cri.L.J.3916)

संबंधित चिकित्सक के साक्ष्य और धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न देना इस परिस्थिति को दर्शाता है कि अभियुक्त सही और गलत, शुभ और अशुभ को समझने की स्थिति में नहीं था, और ऐसे में वह **भारतीय दंड संहिता की धारा 84** के लाभ का हकदार है। विद्वान् अधिवक्ता ने **राजकुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)**[5] प्रकरण का अवलंब लिया, जिसमें इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अपराध के समय अभियुक्त के मानसिक रोग का इतिहास और बिना किसी तर्क या कारण के, विशेषकर अपनी माता-पिता पर आक्रमण करने जैसे कृत्य का होना, अभियुक्त की उन्माद को पुष्ट करता है तथा अभियुक्त **भारतीय दंड संहिता की धारा 84** के लाभ का हकदार है। विद्वान् अधिवक्ता ने आगे **डाह्याभाई छगनभाई ठक्कर बनाम गुजरात राज्य**[6] प्रकरण का अवलंब लिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मानसिक अस्वस्थता की प्रतिरक्षा पर विचार करते समय अपराध से पूर्व, अपराध के समय और अपराध के पश्चात की परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। विद्वान् अधिवक्ता ने इसके अतिरिक्त **रतनलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[7] प्रकरण पर भरोसा व्यक्त किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि मानसिक अस्वस्थता की प्रतिरक्षा के मामले में अपराध के दिन अभियुक्त का व्यवहार निर्णायक महत्व रखता है। विद्वान् अधिवक्ता ने **गुजरात राज्य बनाम मोहनलाल जीतामलजी पोर्वाल तथा अन्य** [8]प्रकरण पर भी भरोसा व्यक्त किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि पक्षकारों के बीच वास्तविक विवाद का निर्णय करने के लिए, न्यायालय अपीलीय स्तर पर अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करने का अधिकारी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इसके विपरित, राज्य/ प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित श्री राकेश झा, विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण के दौरान अपीलकर्ता की ओर से विधिवत नियुक्त अधिवक्ता उपस्थित था। अपीलकर्ता ने विचारण न्यायालय के समक्ष कोई ऐसा आवेदन प्रस्तुत नहीं किया कि घटना के समय वह विक्षिप्त था तथा अपराध किए जाने के समय कृत्य के स्वरूप को समझने में असमर्थ था। अपराध के समय की विक्षिप्तता ही सुसंगत होती है, न कि उससे पूर्व अथवा पश्चात की। अपीलकर्ता विक्षिप्त नहीं था, उसे किसी प्रकार की मानसिक बीमारी नहीं थी, तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि

---

5 (2006 Cri. L.J. 2472)

6 (ए.आई.आर 1964 एस.सी.1563)

7 **(**1970(3) एस.सी.सी.533**)**

8 (1987)2 एस.सी.सी.364)

अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी की मृत्यु कारित करने के आशय से उपर्युक्त अपराध ।किया।उसका आचरण अपराध के घटित होने से पूर्व, अपराध के समय तथा अपराध के उपरांत अप्राकृतिक नहीं था, अतः उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 84 के प्रावधानों का कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

11.पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों की समुचित विश्लेषण करने के लिए, हमने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया।

12.मृतका दीनू बाई की खोपड़ी पर पाई गई मृत्यु पूर्व की घातक चोटों के परिणामस्वरूप हुए मानव वध को अपीलकर्ता द्वारा गंभीर रूप से विवादित नहीं किया गया है; बल्कि, यह तथ्य डॉ. ए.पी. राय (अ.सा-4) के साक्ष्य तथा शव परीक्षण प्रदर्श पी-2 से सिद्ध होता है, जिनसे यह उद्घाटित होता है कि मृतका के सिर पर कई घातक चोटें पाई गईं, मृत्यु सदमे के कारण हुई तथा मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने यह विशिष्ट प्रतिरक्षा लिया है कि वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 84 के लाभ का हकदार है, जो इस प्रकार है:

> **"84. अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति का कृत्य.—** कोई भी कार्य अपराध नहीं है, यदि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो, जो उसे करते समय मस्तिष्क की अस्वस्थता के कारण उस कृत्य के स्वभाव को जानने में असमर्थ हो, अथवा यह न जानता हो कि वह जो कर रहा है वह या तो गलत है या विधि के प्रतिकूल है।**"**

14. अस्वस्थ मस्तिष्क का प्रतिरक्षा-तर्क तभी अभियुक्त के लिए उपलब्ध हो सकता है, जब वह इस तथ्य को सिद्ध करने में सफल हो कि अपराध किए जाने के समय वह मस्तिष्क की अस्वस्थता के कारण कृत्य के स्वभाव को जानने में असमर्थ था तथा मस्तिष्क की अस्वस्थता की स्थिति का अस्तित्व अपराध के समय ही होना आवश्यक है। ऐसे तथ्य को सिद्ध करने का भार अपीलकर्ता पर ही होता है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राज्य बनाम अहमदउल्ला**[9] के मामले में प्रतिपादित किया है, अपराध किए जाने के समय मस्तिष्क की अस्वस्थता का

---

9 **(**ए.आई.आर 1961 एस.सी 998**)**

अस्तित्व सिद्ध करने का भार अपीलकर्ता/अभियुक्त पर होता है, परन्तु यह प्रतिरक्षा-तर्क अभियुक्त के लिए उपलब्ध नहीं है यदि घटना के बाद उसमें विक्षिप्तता या मस्तिष्क की अस्वस्थता विकसित हुई हो।

15. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 84 के लाभ के संबंध में, जैसा कि **डाह्याभाई** (उपर्युक्त), **हुसैन** (उपर्युक्त) तथा **राजकुमार** (उपर्युक्त) के मामलों में प्रतिपादित किया गया है, अपीलकर्ता का पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती आचरण मस्तिष्क की अस्वस्थता अथवा विक्षिप्तता के उस कथन का समर्थन नहीं करता, जिससे वह धारा 84, भारतीय दण्ड संहिता का लाभ पाने का अधिकारी है।

16.अभियुक्त के मस्तिष्क की अस्वस्थता की स्थिति में न्यायालय के लिए यह आवश्यक होता है कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय **xxv** के अनुसार अनुशीलन करे, और यदि न्यायालय यह पाता है कि अभियुक्त मस्तिष्क से अस्वस्थ है, तो अभियुक्त को धारा 330 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन, अन्वेषण अथवा विचारण के लंबित रहने तक रिहा किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17.विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह प्रकट होता है कि विचारण के दौरान दिनांक 7-8-2004 को आरोप विरचित किया गया था, अभियुक्त ने आरोप का विधिवत् उत्तर दिया था तथा दिनांक 23-2-2005 को उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत परीक्षित किया गया था।अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तरों से यह स्पष्ट होता है कि उसने उसके समक्ष पूछे गए कुल 72 प्रश्नों का विधिवत् उत्तर दिया तथा उसने यह विशिष्ट प्रतिरक्षा भी ली कि उसे वर्तमान अपराध में झूठा फँसाया गया है।

विचारण की अवधि के दौरान अभियुक्त की ओर से विधिवत् रूप से नियुक्त अधिवक्ता उपस्थित था। दिनांक 1-11-2004 को विचारण स्थगन एवं अभियुक्त के समुचित उपचार संबंधी एक आवेदन अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अभियुक्त का परीक्षण डॉक्टर द्वारा तथा अंततः रायपुर चिकित्सा महाविद्यालय के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा किया गया, और उन्होंने यह पाया कि अभियुक्त किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी अथवा मानसिक विकार से पीड़ित नहीं था। जेल से प्राप्त प्रतिवेदन के उपरांत, विचारण न्यायालय ने विचारण को आगे बढ़ाया तथा विचारण को सम्पन्न किया।यह दर्शाता है कि विचारण की संपूर्ण अवधि के दौरान अभियुक्त/अपीलकर्ता किसी भी मानसिक बीमारी से ग्रस्त नहीं था, न ही वह उन्मत्त या विक्षिप्त था, तथा विचारण न्यायालय ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित प्रक्रिया अपनाई थी।

18. अपील की प्रक्रिया के दौरान अपीलकर्ता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 391 के अंतर्गत अतिरिक्त साक्ष्य अभिलेख लेने हेतु एक आवेदन (आई.ए. क्र. 2/2009) प्रस्तुत किया है। **गुजरात राज्य** (उपर्युक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि उपयुक्त मामलों में वास्तविक विवाद के निष्पादन हेतु अपीलीय स्तर पर अतिरिक्त साक्ष्य लिए जा सकते हैं।

19.वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने उक्त आवेदन (आई.ए. क्र. 2/2009) के साथ तीन दस्तावेज संलग्न किए हैं। प्रथम दस्तावेज (अनुलग्नक पी-2) दिनांक 1-12-2000 का एक सूचना पत्र है, जो अपीलकर्ता के पिता द्वारा दिया गया है, जिससे यह प्रकट होता है कि अपीलकर्ता के पिता ने पुलिस को लिखित रूप से सूचित किया था कि अपीलकर्ता पिछले छह महीनों से मानसिक रूप से बीमार है। द्वितीय दस्तावेज (अनुलग्नक पी-3) दिनांक 17-6-2000 का मनोचिकित्सक द्वारा दिया गया उपचार प्रतिवेदन है, जिससे यह ज्ञात होता है कि अपीलकर्ता वर्ष 2000 में उपचाराधीन था। तृतीय दस्तावेज (अनुलग्नक पी-4) भी वर्ष 2000 में अपीलकर्ता के उपचार से संबंधित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20.वर्तमान मामले में, अपराध दिनांक 7-3-2004 को किया गया था, जो कथित उपचार के चार वर्ष पश्चात हुआ। अपीलकर्ता के पिता घनश्याम प्रसाद साहू (अ.सा-7) के साक्ष्य, विशेष रूप से कण्डिका 6, से यह प्रकट होता है कि घटना से दो वर्ष पूर्व अपीलकर्ता महासमुंद में चालक के रूप में कार्यरत था। वह महासमुंद से बिलासपुर गया और 18 दिनों के पश्चात बिलासपुर पहुँचा। अपीलकर्ता बिना किसी सूचना के यहां-वहां घूमने की आदत में था। घनश्याम प्रसाद साहू (अ.सा-7) ने यह भी स्वीकार किया कि अपीलकर्ता के दो पुत्र हैं, और पूर्व दिवस, जब उन्होंने अभियुक्त से पूछा, तो अभियुक्त ने कहा कि उसका केवल एक पुत्र है। उन्होंने आगे यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उनका पुत्र उपचाराधीन था और वह अपने पुत्र को रायपुर उपचार के लिए ले जाने के लिए तैयार भी थे, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को नहीं ले गए क्योंकि उनका पुत्र दवाइयाँ नहीं खाएगा।

21.अपीलकर्ता के भाई जयजयराम साहू (अ.सा-6) ने भी वही बात बताई है और विशेष रूप से कण्डिका 5 में अभिसाक्ष्य दिया कि घटना के समय अपीलकर्ता अपनी पत्नी एवं दो बच्चों के साथ अपने कमरे में उपस्थित था। अपीलकर्ता का कमरा उसके पिता के कमरे के पास स्थित था। कण्डिका 6 में उन्होंने विशेष रूप से स्वीकार किया कि उन्होंने अपने भाई यानी अपीलकर्ता को खोजने के लिए केवल एक बार ही गया था। अपने साक्ष्य के कण्डिका 8 में उन्होंने विशेष रूप से यह सुझाव अस्वीकार किया कि उन्होंने घटना को नहीं देखा और अपीलकर्ता घटनास्थल से नहीं भागा था।

22. विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह प्रकट होता है कि विचारण के दौरान अपीलकर्ता मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं था। विचारण न्यायालय ने आवेदन पर विचार किया और अपीलकर्ता को विशेषज्ञ के समक्ष परीक्षण के लिए भेजा तथा विशेषज्ञ का प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात विचारण न्यायालय ने मामले के विचारण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई।

23.जैसा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पूजाप्पा (उपर्युक्त) और कर्नाटक राज्य (उपर्युक्त) के मामलों में प्रतिपादित किया है, विचारण न्यायालय ने पक्षकारों को अवसर प्रदान किया और चिकित्सक के प्रतिवेदन के आधार पर, अपीलकर्ता का परिक्षण करने के उपरांत, मामले के विचारण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई।

24.जयजयराम साहू (अ.सा-6) के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि अपराध के दिन भी अपीलकर्ता अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ अपने कमरे में उपस्थित था। यदि अपीलकर्ता मानसिक रूप से अस्वस्थ या उन्मत्त होता, तो यह मानना कठिन होगा कि उसके भाई, पिता और अन्य परिवारजन छोटे बच्चों को अपीलकर्ता की कृपा पर छोड़ देते। अपीलकर्ता ने अपने दो बच्चों, जो घटना के समय कमरे के अंदर उसकी देखरेख में उपस्थित थे, पर कोई हमला नहीं किया या कोई चोट नहीं पहुँचाई। अपराध करने के पश्चात, अभियोजन पक्ष के कथन के अनुसार, अपीलकर्ता कमरे से बाहर आया और कुदारी रखने के उपरांत घर से फरार हो गया।विक्षिप्तता या मानसिक रोग की स्थिति में, अपीलकर्ता के लिए घटनास्थल से भागना या अपने कमरे में उपस्थित दो बच्चों को छोड़ना कठिन होता। यह दर्शाता है कि अपीलकर्ता मस्तिष्क की अस्वस्थता के कारण कृत्य के स्वभाव को जानने में असमर्थ नहीं था। ऐसी प्रतिरक्षा का तर्क अपीलकर्ता ने विचारण के समय भी नहीं लिया। अपीलकर्ता ने यह सिद्ध नहीं किया और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया कि अपराध के समय मस्तिष्क की अस्वस्थता के कारण वह कृत्य के स्वरूप को समझने में असमर्थ था। यह प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने यह प्रतिरक्षा बिना किसी वास्तविक आधार या तथ्यात्मक समर्थन के अपनाई है। यदि आवेदन में प्रस्तुत दस्तावेज़ों को भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाए, तो भी वे इस तथ्य को सिद्ध नहीं करेंगे कि अपराध के समय अपीलकर्ता मानसिक रूप से अस्वस्थ या विक्षिप्त था। अतः यह आवेदन (आई.ए. क्र. 2/2009) खारिज किए जाने योग्य है और इसे तदनुसार खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. जहाँ तक विचाराधीन अपराध में अभियुक्त-अपीलकर्ता की संलिप्तता का प्रश्न है, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि विनोद कुमार यादव (अ.सा-1) तथा अपीलकर्ता के भाई जयजयराम साहू (अ.सा-6) के साक्ष्य पर आधारित है।

26. अपीलकर्ता के भाई जयजयराम साहू (अ.सा-6) ने अपने बयान में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि होली पर्व के दिन रात्रि लगभग 1.30 बजे, वह विनोद कुमार यादव (अ.सा-1) के साथ उस स्थान से, जहाँ होली मनाई जा रही थी, अपने घर की ओर आ रहे थे। उसी समय अपीलकर्ता अपने घर से कुदारी लेकर बाहर निकला और कुदारी को दरवाजे के पास रखकर अपने घर के पीछे की ओर से भाग गया। तत्पश्चात वे दोनों तत्काल अपीलकर्ता के घर में प्रवेश किए, जहाँ मृतका श्रीमती दीनू साहू चारपाई पर छटपटाती हुई अवस्था में पड़ी हुई थीं। उन्होंने तुरंत अपीलकर्ता की तलाश की, किंतु वह उपलब्ध नहीं हुआ और अंततः मृतका की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। विनोद कुमार यादव (अ.सा-1) ने जयजयराम साहू (अ.सा-6) के साक्ष्य की पुष्टि की है। जयजयराम साहू (अ.सा-6) की विस्तृत प्रति परीक्षण के दौरान, उन्होंने इस सुझाव का स्पष्ट रूप से खंडन किया है कि उन्होंने घटना नहीं देखी थी अथवा उन्होंने अपीलकर्ता को घटनास्थल से भागते हुए नहीं देखा था अथवा वह अपीलकर्ता को झूठा फँसा रहे हैं।

27. बचाव पक्ष द्वारा विनोद कुमार यादव (अ.सा-1) का भी विस्तार से प्रति परीक्षण किया गया। अपने विस्तृत परीक्षण में इस साक्षी ने उक्त तथ्य को स्वीकार किया है कि अपीलकर्ता *कुदारी* लेकर आया था तथा कुदारी को दरवाजे के पास रखकर घटनास्थल से भाग गया था। उक्त *कुदारी* को घटनास्थल से जप्त कर प्रदर्श पी-6 के अंतर्गत सील किया गया, जिसे रासायनिक परीक्षण हेतु प्रदर्श पी-22 के माध्यम से भेजा गया तथा *कुदारी* पर रक्त की उपस्थिति की पुष्टि प्रदर्श पी-23 के अनुसार की गई। उक्त *कुदारी* को दिनेश सिंह ठाकुर (अ.सा-3) द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे आर्टिकल-ए के रूप में चिन्हांकित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. अपीलकर्ता के भाई जयजयराम साहू (अ.सा-6) के साक्ष्य से यह तथ्य उद्घाटित होता है कि घटना के समय लगभग 5 वर्ष एवं 7 वर्ष आयु के दो बच्चे, मृतका श्रीमती दीनू तथा अपीलकर्ता कमरे के भीतर उपस्थित थे। अपीलकर्ता कुदारी लेकर कमरे से बाहर आया तथा उसे दरवाजे के पास रखकर घटनास्थल से फरार हो गया और बाद में उसका कोई पता नहीं चला। यह साक्षी तत्काल कमरे के भीतर गया, जहाँ मृतका चारपाई पर छटपटाती हुई अवस्था में पड़ी हुई थी तथा कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। रात्रि लगभग 1.30 बजे अपीलकर्ता के घर के भीतर किसी तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति स्वाभाविक नहीं थी, जबकि अपीलकर्ता की उपस्थिति स्वाभाविक थी। ये तथ्य/परिस्थितियाँ इस निष्कर्ष पर पहुँचने हेतु पर्याप्त हैं कि अपीलकर्ता ही वह व्यक्ति था जिसने अपनी पत्नी को घातक चोटें पहुँचाई थीं, वही अपराध का कर्ता (लेखक) था तथा अपीलकर्ता के अतिरिक्त और कोई भी व्यक्ति अपराध का कर्ता नहीं था अथवा मृतका श्रीमती दीनू साहू का मानव वध उसी ने कारित किया था।

29. जहाँ तक हेतुक के प्रश्न का संबंध है, हेतुक मात्र अपराधिता को सहारा प्रदान करती है और प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध होने की स्थिति में उसका महत्व कम हो जाता है। हेतुक का अनुमान चोटों की प्रकृति, प्रयुक्त हथियार तथा शरीर के प्रभावित भाग के आधार पर लगाया जा सकता है।वर्तमान प्रकरण में अपीलकर्ता द्वारा *कुदारी* जैसे घातक हथियार का प्रयोग किया गया है तथा उसने मृतका के चेहरे एवं सिर पर, घातक चोटों सहित, कुल सात चोटें पहुँचाई हैं, जो उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हैं। चोटों की प्रकृति, प्रयुक्त हथियार तथा बार-बार चोटें पहुँचाया जाना इस तथ्य को दर्शाता है कि अभियुक्त की मृतका की हत्या करने का गंभीर आशय था।

30. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् मूल्यांकन करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया है तथा उसे आजीवन कारावास का दंड एवं ₹500/- के अर्थदंड से दंडित किया है, तथा अर्थदंड अदा न किए जाने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है। अपीलकर्ता की दोषसिद्धि विधि के अंतर्गत टिकाऊ, ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्यों पर आधारित है। विचारण न्यायालय द्वारा विधि में विहित न्यूनतम दंड ही प्रदान किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. साक्ष्यों की सूक्ष्म एवं गहन समीक्षा करने पर हमें इस अपील में कोई भी सार या दम नहीं प्रतीत होता। अपील सारहीन है तथा खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज किया जाता है।

हस्ताक्षरित/–
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

हस्ताक्षरित/–
आर.एल.झंवर
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By ADV.VARSHA THACKER.